प्रेस नोट 27/12/2024

जिलाबदर एक अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.12.2024 को देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भदेसरा से हाइवे के पास से जिलाबदर अपराधी चन्दन साहनी पुत्र भानु साहनी निवासी मुहल्ला भदेसरा थाना दक्षिणटोला मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 189/24 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम 1970 का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. चन्दन साहनी पुत्र भानु साहनी निवासी मुहल्ला भदेसरा थाना दक्षिणटोला मऊ।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 189/2024 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम 1970 थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।
2. का0 गुरमीत सिंह थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 722/2017 धारा 147/323/332/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर मऊ।
2. मु0अ0सं0 183/2019 धारा 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 23/2020 धारा 143/186/188/269/270/285 भादवि व 03 महामारी अधि0 कोतवाली नगर मऊ।
4. मु0अ0सं0 397/2021 धारा 143/186/188/269/270/285 भादवि व 03 महामारी अधि0 कोतवाली नगर मऊ।

आज दिनांक 27.12.2024 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय द्वारा महिला थाना जनपद मऊ का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया जिसमें थाना कार्यालय के अपराध रजिस्टर, जनसुनवाई रजिस्टर, आदि का अवलोकन किया गया तथा अभिलेखों को ससमय अभिलेखित

करने त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान भ्रमण कर महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, बंदीगृह, बैरक, भोजनालय, शस्त्रागार, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया तथा सर्वसम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला आरक्षी से प्रार्थना पत्रों को गम्भीरतपूर्वक सुनने तथा निस्तारण के बाद नियमित फीडबैक लेने हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही साथ थाना परिसर में भ्रमण कर साफ-सफाई इत्यादि का निरीक्षण किया गया तथा साफ सफाई उच्च स्तर का बनाये रखने हेतु प्रभारी निरीक्षक महिला थाना व सर्वसम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।